दिनांक 12, 13–जून,2018 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 1157/110/तीन/97–VII दिनांक 05–06–2018, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 12, 13–जून,2018 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों, शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सिविल–इंजीनियर (सी.एल.टी.सी.) के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओ– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना –राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी शहर सभी घटकों में प्रथम त्रैमासिक का लक्ष्य प्रत्येक दशा में जून 2018 तक पूर्ण करलें तथा विशेष प्रयास कर लक्ष्य से अधिक प्रगति की पूर्ति करलें ताकि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व ही आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत समूह गठन में 62 शहरों यथा–चित्रकूट, गजरौला–अमरोहा, हसनपुर–अमरोहा, सहसवन–बदायूँ, उझानी–बदायूँ, बागपत, बडौत–बागपत, बहेणी–बरेली, फरीदपुर–बरेली, बिजनौर, चांदपुर–बिजनौर, धामपुर–बिजनौर, कीरतपुर–बिजनौर, नजीबाबाद–बिजनौर, शेरकोट–बिजनौर, नगीना–बिजनौर, सिहोरा–बिजनौर, गुलाठी–बुलन्दशरह, जहांगीराबाद–बुलन्दशहर, खुर्जा–बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद–बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद–बुलन्दशहर, शिकोहाबाद–फिरोजाबाद, टुण्डला–फिरोजाबाद, दादरी–जी0बी0नगर, लोनी–गाजियाबाद, मुरादनगर–गाजियाबाद, हमीरपुर, राठ–हमीरपुर, पिलखुवा–हापुड, उरई–जालौन, कल्पी–जौलौन, कोंच–जालौन, जालौन, मौरानीपुर–झांसी, कन्नौज, छिबरामऊ–कन्नौज, अकबरपुर–कानपुर देहात, कासगंज, महोबा, मैनपुरी, कोसीकला–मथुरा, मवाना–मेरठ, सरधना–मेरठ, गंगोह–सहारनपुर, देवबंद–सहारनपुर, तिलहर–शाहजहांपुर, अमेठी, गौरीगंज–अमेठी, मुबारकपुर–आज़मगढ़, बलरामपुर, गोरखपुर, शाहाबाद–हरदोई, मदझनपुर–कौशाम्बी, पड़रौना–कुशीनगर, गोला–लखीमपुर खीरी, भिनगा–श्रावस्ती, सीतापुर, बिसवां–सीतापुर, लहरपुर–सीतापुर, महमूदाबाद–सीतापुर, रॉबर्टगंज–सोनभद्र, उन्नाव, गंगाघाट–उन्नाव, की प्रगति शून्य पायी गयी जिस पर सभी परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि जून 2018 मे प्रथम त्रैमासिक पूर्ण हो रहा है, जिसके दृष्टिगत जून 2018 तक प्रत्येक दशा में अपेक्षित लक्ष्य पूर्ण किया जाय। उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत गठित समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि जिन शहरों में इस घटक के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध है वह शहर सभी अर्ह समूहों को तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त करें। यह भी निर्देश दिये गये कि रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त सभी ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को जोड़ा जाये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) को बेहतर ढंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी पुनः निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये तथा प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 में अच्छे समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत करें तथा समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायें। समूहों के उत्पादों की बिक्री विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ड, होम शॉप, शॉप 18 आदि से सम्पर्क कर समन्वयन के माध्यम से भी बिक्री कराना सुनिश्चित करें। सी0एल0सी0 हेतु एस0यू0एल0एम0,

सूडा मुख्यालय में स्थापित कॉल सेन्टर से योजनाओं एवं सी0एल0सी0 के सम्बन्ध में टोल–फ्री नम्बर 1800 1800 155 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

SUH- शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी शहरी निकायों में शहरी बेघरों का थर्ड पार्टी सर्वेक्षण का कार्य गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। गिरी विकास अध्ययन संस्थान द्वारा कतिपय निकायों के सर्वेक्षण की अन्तरिम आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो लोकेशनवार है। उक्त आख्या सम्बन्धित शहरों को इस कार्यालय के पत्र सं0–608/241/NULM/तीन/2001(SUH) SGIDS दिनांक 11.05.2018 के माध्यम से भेज दी गयी है। जिसकी पुष्टि सम्बन्धित शहरों के परियोजना अधिकारी/ सी0एम0एम0 से किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जो कि अधिकतर शहरों से अप्राप्त है, जिसके दृष्टिगत उक्त पुष्टि आख्या एवं सभी निकायों से जोन एवं वार्डवार मोहल्लों की सूची प्राप्त कर इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल MIS, SULM को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शहर में संचालित NULM एवं नगर निगमों के सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल GOI के पोर्टल पर अपलोड हो गयी है। NULM के घटक एस0यू0एच0 के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर होम का संचालन नगरीय निकायों के माध्यम से फिलहाल तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये। शेल्टर संचालन हेतु ई–निविदा के माध्यम से एजेन्सी चयन प्रक्रियाधीन है। चयन की कार्यवाही पूर्ण होते ही एजेन्सी को शेल्टर होम के संचालन हेतु निकायों को संदर्भित किया जायेगा।

EST&P- घटक के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पूर्व में घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट पाये सभी लाभार्थियों की सुचारू रूप से ट्रैकिंग करके आख्या उपलब्ध करायी जाय। ट्रैकिंग में लाभार्थी से वार्ता एवं भौतिक सत्यापन भी किया जाय। इस सम्बन्ध मे यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत–प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15–20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्टर पर अंकित किया जाये तथा जिस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्टर पर किये जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अपलोड नही किये जा रहे है जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अतः सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि सेवायोजित किये गये सभी प्रशिक्षार्थियों के 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधि प्रपत्र MIS पर अपलोड किये जाये और हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष जिन एनएसडीसी पार्टनर प्रशिक्षण का कार्य नहीं प्रारम्भ किया गया है, उनके विरूद्ध अनुबन्ध के अनुसार विधिक कार्यवाही नियमानुसार करते हुए मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कारायी जाये।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शांहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया

जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06. 2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विक्रेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1134/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 05.06.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, इस निर्देश के अनुसार ही शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने की समस्त कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण की जाये।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विकेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचलनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत प्रदेश के 29 जनपदों यथा औरैया, बागपत, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद (लोनी), हमीरपुर, जालौन (उरई), कन्नौज, कानपुर देहात, महोबाद, शाहजहॉपुर, अमेटी, भदोही, चन्दौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, प्रतापगढ़, सोनभद्र (रार्बटसगंज) एवं सुल्तानपुर द्वारा कोई कार्य नही किया गया है, जिसके कारण प्रगति शून्य है। जिस पर निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रथम त्रैमासिक हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया जाय, अन्यथा इस स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SEP-G) के अन्तर्गत जनपदों यथा बुलन्दशहर, हापुड़, शाहजहॉपुर, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, श्रावस्ती (भिन्गा), उन्नाव, लखनऊ एवं इलाहाबाद को छोड़कर शेष जनपदों की प्रगति शून्य है। जिन जनपदों की प्रगति शून्य है उन जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रथम त्रैमासिक हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया जाय अन्यथा इस स्थिति में सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SHG-Bank Linkage) के अन्तर्गत कतिपय जनपदों द्वारा प्रयास करके निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया गया है जोकि सराहनीय है। जनपद यथा बदायूँ, चित्रकूट, हापुड़, सम्भल, अलीगढ़, बरेली, आगरा, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलन्दशहर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बहराइच, वाराणसी, रायबरेली, आजमगढ़, बाराबंकी, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर एवं जौनपुर को छोड़कर शेष जनपदों की प्रगति इस उपघटक के अन्तर्गत शून्य है जोकि अत्यन्त खराब है। जिन जनपदों

की प्रगति शून्य है उन जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रथम त्रैमासिक हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया जाय, अन्यथा इस स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी परियोजना अधिकारियों को विशेष रुप से निर्देशित किया गया कि त्रैमासिक निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु रणनीति बनाकर शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों को लक्ष्य बांटकर प्रतिदिन उनकी समीक्षा करते हुए कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त जिन लाभार्थियों को योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया गया है उनकी ब्याज अनुदान राशि को ऋण खातें में भिजवाना सुनिश्चित कराया जाय। जिससे योजना का लाभ शहरी गरीबों को मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास –

1. समीक्षा बैठक में लाभार्थी सूची में पाये गये अपात्र आधार कार्डो की पुनः गहन समीक्षा की गयी एवं समस्त सी0एम0एम0 को निर्देशित किया गया कि वे तीन दिवस के अन्दर सभी अपात्र आधार कार्डो की जांच/सत्यापन अपने स्तर से करते हुए लाभार्थी सूची को अन्तिम रूप प्रदान करने हेतु परियोजना अधिकारियों को प्रस्तुत करें।
2. सभी परियेाजना अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि वे योजनान्तर्गत प्रथम/द्वितीय चरण में प्राप्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान सं0–37, 83 एवं 81 के अलग–अलग) तीन दिवस में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि धनराशि लाभार्थी के खाते में अन्तरित नहीं हो पायी है तो तीन दिवस में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि जितने लाभार्थियों का जियो टैग हो चुका है उनकी षत्रावली एक सप्ताह के अन्दर सम्बधित परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे लाभार्थी को प्रथम किस्त का भुगतान करने की प्रकिया प्रारंभ की जा सके।
4. योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती में पात्र लाभार्थियों की संख्या बहुत कम होने के दृष्टिगत निर्देश दिये गये कि मुख्यालय स्तर से श्री एम0 गोला, विशेषज्ञ(SLTC) के नेतृत्व में टीम गठित कर जनपद स्तर पर निरीक्षण किया जाये तथा शीघ्र रिर्पोट मुख्यालय को प्रस्तुत की जाये।
5. समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि यदि किसी जनपद में संस्था वाले डाटा–वैलिडेशन का कार्य शीघ्र नहीं कर पा रहे तो परियेाजना अधिकारी अपने स्तर से कार्य पूर्ण कराकर मुख्यालय को सूचित करते हुये वांछित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करें।
6. सभी परियेाजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे आगामी 7 दिवस में चयनित पात्र लाभार्थियों का विवरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर हाई लेविल अथोर्टी के माध्यम से सूडा मुख्यालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें तथा जहॉ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है एवं कार्य लिन्टल लेविल तक पहुंच गया है वहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
7. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय के संबंध में निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत किये गये प्रशासनिक व्यय का अलग से बिल बाउचर संकलित करें तथा उसका अलग से लेखांकन किया जायें, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। उक्त धनराशि की जनपद स्तर पर तैयार की जाने वाली बैलेंस सीट में अलग से इट्री की जायें। सम्बधित बिल बाउचर की छायाप्रति प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मदवार विवरण के साथ संलग्न कर एस0एल0टी0सी0 की ई–मेल आइ.डी. पर भेजना सुनिश्चित करें।

8. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अधिकांश परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित संस्था के कन्सलटेन्ट द्वारा जनपद स्तर पर किये गये कार्यों से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है तथा संस्था के प्रतिनिधि परियोजना अधिकारियों के सम्पर्क में नहीं रहते हैं। इस प्रकरण पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा समस्त संस्था के प्रमुख को निर्देशित किया गया कि वे जनपद/निकाय स्तर पर किये गये कार्यों से परियोजना अधिकारियों लगातार अवगत करायें तथा नियमित रूप से उनके सम्पर्क में रहें।

9. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित कराया गया कि वे अपने जनपद की सभी निकायों के बी0एल0सी0 घटक को मासान्त तक संतृप्त कराना सुनिश्चित करें।

10. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।

11. निर्देशित किया गया कि किसी भी कन्सलटेन्टस (HFA-POA/DPRPMC) द्वारा कोई भी लाभार्थी निरस्त नहीं किए जायेगें, बल्कि निरस्त किये जाने वाले लाभार्थियों की सूची कारण सहित परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायें जिसे परियोजना अधिकारी अपने स्तर से जांच कराते हुए पात्र/अपात्र लाभार्थियों का निर्धारण करते हुये अन्तिम सूची तैयार करायेंगें।

12. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट्स से समन्वय स्थापित करते हुए भुवन पोर्टल पर जिओ टेगिंग का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित परियोजना अधिकारी को अवश्य अवगत कराते हुए सूडा मुख्यालय को भी सूचित करें।

13. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रतिदिन कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण करें। स्वीकृत डी0पी0आर0 के लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए जिओ टेगिंग कर ग्राउण्डिंग का कार्य चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुसार तत्काल प्रारम्भ करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूर्ण आवासों के सापेक्ष एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कम्पलीशन सार्टीफिकेट मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा 15 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है केवल उन्हीं को पूर्ण किया जाये अनारम्भ आवासों का कार्य प्रारम्भ न किया जाये। उक्त कार्य का नियमित अनुश्रवण करने के भी निर्देश दिये गये।

- सभी सम्बधित परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जो प्रस्ताव पी0एफ0ए0डी0/ई0एफ0सी0 से स्वीकृत हो चुके है उनकी यू0सी0/निरीक्षण आख्या, 19–कालम रिपोर्ट,फोटोग्राफ आदि सभी कागजात एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

- समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि नई संचालित मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना का शासनादेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत शीघ्र दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–संबंधित डूडा)**

सूचना का अधिकार अधिनियम –2005

जनपदीय परियोजना अधिकारी, डूडा जो कि संबंधित कार्यालय स्तर पर जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक के अवसर पर निदेशक महोदय के स्तर से निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अन्तर्गत यथा प्राविधानित समयावधि के अन्तर्गत आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– यदि आवेदक की सूचना संबंधित डूडा कार्यालय से दिया जाना संभव नहीं है तो जिस संबंधित विभाग की सूचना को आवेदक के आवेदन पत्र को निर्धारित समयावधि में अन्तरित कर दिया जाये। ऐसा न करने पर प्रथम अपील या द्वितीय अपील की स्थिति आने पर संबंधित डूडा का दायित्व निर्धारित होने अथवा दण्डित होने की संभावना बन जाती है। सचेत किया गया कि विगत दिनों विभिन्न जिलों के पांच विविध प्रकरणों में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के स्तर से 25–25 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने का प्रकरण सामने आया है। यह स्थिति जनपदीय डूडा के स्तर से समय से सूचना न देने, अपूर्ण सूचना देने या ऐसे ही कतिपय कारणों से उत्पन्न हुई है।

3– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

4– इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना

अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

5– राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

विधायी प्रकरणों से संबंधित बिन्दु

उपर्युक्त बिन्दु के संबंध में मासिक समीक्षा बैठक में निदेशक महोदय के स्तर से निम्नवत निर्देश निर्गत किए गये :–

उत्तर प्रदेश विधानसभा अथवा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अधीन गठित समितियों यथा आश्वासन समिति, प्राक्कलन समिति विनिमयन समीक्षा समिति इत्यादि की बैठकें शासन स्तर से सीमित समयावधि के अन्तराल पर आयोजित होने की सूचना प्रायः प्राप्त होती है। उक्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बैठकों हेतु समयबद्ध वांछित सूचनायें उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य एवं बाध्यकारी होता है। इसके दृष्टिगत सभी परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जनपद में डूडा से संबंधित विविध प्रकरणों की अलग–अलग समितियों हेतु संदर्भित अथवा लम्बित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी समस्त सुसंगत तथ्यों सहित समयबद्ध तरीके से तैयार रखी जायें ताकि सूडा मुख्यालय से अल्प समय में सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध हो सके।

इन सूचनाओं को जनपद स्तर से जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा अथवा परियोजना निदेशक, डूडा के स्तर से ही हस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जाये। इसी प्रकार विधानसभा अथवा विधान परिषद अथवा लोकसभा या राज्यसभा संबंधी प्रश्नों व विभिन्न नियमों से संबंधित सूचनायें भी उपरोक्तानुसार प्रेषित करायी जायें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपद– अमरोहा, औरैया, बरेली, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, ललितपुर, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, बहराइच, भदोही, फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक–1508 / 110 / तीन / 97 Vol-VII दिनांक–22/06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प / अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0 / वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक